निर्णय बइजलास श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड

प्रकरण संख्या 128/दावा/2018 तारीख दायरा 24.10.2018
ऑन लाइन प्रकरण संख्या 2018/00050

उनवान

किशना पिता प्रभू जाति तंवर निवासी बामलाबेह तहसील मनोहरथाना –वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना –प्रतिवादी

वाद धारा 88,89, 91, 92ए, राज0टी0 एक्ट, 136 एल.आर.एक्ट.

निर्णय दिनांक 24.06.2022

उपस्थिति :–श्री पुरूषोत्तम खण्डेलवाल अधिवक्ता वादी

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जये अधिवक्ता वाद धारा 88, 89, 91, 92 ए राज0 टी0 एक्ट व 136 एल.आर.एक्ट. के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि ग्राम बामलाबेह पटवार हल्का कोलूखेडी कलां तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 32 पुरानी 25 की कुल 14 किता की 37 बीघा 8 बिस्वा आराजी वादी किशना माता कस्तुरी पुत्री प्रभु के खाते दर्ज है। वादी की माता का नाम कस्तुरी पुत्री प्रभू जमाबन्दी मे अंकित हैं कस्तुरी प्रभु की पुत्री ना होकर प्रभु की औरत थी एवं जमाबन्दी में कस्तुरी पुत्री प्रभु दर्ज हो रहा है उसके स्थान पर कस्तुरी बेवा प्रभु अथवा पत्नी प्रभुलाल दर्ज होना चाहिए था। जिसके स्थान पर कस्तुरी पुत्री प्रभु नाम दर्ज कर दिया गया है जो त्रुटि पूर्ण है एवं कस्तुरी बेवा प्रभुलाल ही सही नाम है एवं कस्तुरीबाई का देहान्त भी दिनांक 19.11.2017 को हो चुका है कस्तुरीबाई का एक मात्र वारिस एवं उत्तराधिकारी वादी किशना ही हैं। वाद मे वर्णित सम्पूर्ण आराजी जो कस्तुरीबाई पुत्री प्रभु एवं वादी किशना के खाते दर्ज है उसमे कस्तुरी पुत्री प्रभू के स्थान पर कस्तुरी बेवा प्रभूलाल दर्ज होना चाहिए था एवं कस्तुरी पुत्री प्रभुलाल का देहान्त हो जाने से सम्पूर्ण आराजी वादी के खाते दर्ज किया जाना न्यायहित मे आवश्यक हैं तथा वादी की उपरोक्त आराजी का मालिक एवं खातेदार टीनेन्ट घोशित किए जाने योग्य है। वाद मे वर्णित आराजी में वादी की माता कस्तुरीबाई पुत्री प्रभु का नाम दुरूस्त करवाने बाबत एवं उक्त सम्पुर्ण आराजी के इन्तकाल मुझ वादी के नाम खुलवाने बाबत कई बार तहसील मनोहरथाना मे आवेदन किया परन्तु तहसीलदार तहसील मनोहरथाना द्वारा कोई सुनवाई नही की अन्तिम बार दिनांक 01.08.2018 को आवेदन करने पर तहसीलदार तहसील मनोहरथाना द्वारा कोई सन्तोषप्रद जवाब नही देने से वाद उत्पन्न हुआ हैं

अतः वर्णित ग्राम बामलाबेह पटवार हल्का कोलूखेडीकला तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 32 पुरानी 25 की कुल 14 किता की 37 बीघा 8 बिस्वा आराजी मे दर्ज कस्तुरीबाई पुत्री प्रभु के स्थान पर कस्तुरी बेवा प्रभूलाल दर्ज कर कस्तूरीबाई की मृत्यू होने से

उसकी हिस्से की आराजी का वादी को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद की जावें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी से जवाब तलब किया गया प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब संलग्न पत्रावली किया गया मुताबिक जवाब प्रतिवादी तहसीलदार, वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे कस्तुरीबाई पुत्री प्रभु के स्थान पर कस्तुरी बेवा प्रभूलाल दर्ज किये जाने मे सहमत है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत तर्क एंव दस्तावेज पर गौर किया गया। अतः वादी का प्रांर्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार को आदेश दियेा जाता है कि वर्णित ग्राम बांमलाबेह पटवार हल्का कोलूखेडी कला तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 32 पुरानी 25 की कुल 14 किता की 37 बीघा 8 बिस्वा आराजी मे कस्तुरीबाई पुत्री के स्थान पर कस्तुरी बेवा प्रभूलाल दर्ज कर राजस्व रिकार्ड अमल दरामद की जावें। यह भी निदेशित किया जाता है कि कस्तूरीबाई के वारिसान की जांच कर फोती नामान्तकरण की कार्यवाही करे। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 को खुले इजलास सुनाया गया ।

(श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना

फाईनल डिक्री मुकदमात इब्तदाई
(ओ020 रूल0 6–7 जाप्ता दीवानी)

बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड राज0

प्रकरण संख्या 128 / दावा / 2018 तारीख दायरा 24.10.2018
ऑन लाइन प्रकरण संख्या 2018 / 00050

उनवान

किशना पिता प्रभू जाति तंवर निवासी बामलाबेह तहसील मनोहरथाना

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना –प्रतिवादी

वाद धारा 88,89, 91, 92ए, राज0टी0 एक्ट व 136 एल.आर.एक्ट.

आज यह मुकद्मा वास्ते इन फिसालकतई रूबरू मुझ अभिषेक चारण (आर0ए0एस0) बहाजरी वकील वादी श्री पुरूषोत्तम खण्डेलवाल मिन जानिब मुद्दालय -------------ने पेश होकर वाद आंशिक डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :–
ग्राम बामलाबेह पटवार हल्का कोलूखेडी कला तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 32 पुरानी 25 की कुल 14 किता की 37 बीघा 8 बिस्वा आराजी मे कस्तुरीबाई पुत्री के स्थान पर कस्तुरी बेवा प्रभूलाल दर्ज कर राजस्व रिकार्ड अमल दरामद की जावें। यह भी निदेशित किया जाता है कि कस्तूरीबाई के वारिसान की जांच कर फोती नामान्तकरण की कार्यवाही करे।

आज दिनांक 24.06.2022 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांक से जारी कि गई।

(श्री अभिषेक चारण आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना